न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 272/2019 निर्णय दिनांक :–26.12.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
2. इन्द्रा पत्नि राजेन्द्र जाति माली आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. हरकू पत्नि खानाराम जाति माली आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
2. खानाराम पुत्र जमना जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
3. प्रकाश पुत्र खानाराम जाति माली आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
4. तुलसीराम पुत्र खानाराम जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
5. रमेश पुत्र खानाराम जाति माली आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
6. सुगना पत्नि प्रकाश जाति माली आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राज0।

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी
सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अवहेलना न्यायालय
आदेश दिनांक 20.02.2019 टी0आई0प्रा.पत्र संख्या 40/19
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली।

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र इस आश्य का पेश किया गया था कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि आराजी ख0नं0 2136 रकबा 0.32 है0 किस्म चाही व ख0नं0 2141 रकबा 0.31 है0 किस्म चाही प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 है0 में से 33/160 हिस्सा है तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी 2141 रकबा 0.31 है0 किस्म चाही प्रथम व ख0नं0 2147 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 में से 121/960 हिस्से की भूमि वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है। उक्त भूमि को प्रार्थी संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 11 हरकू देवी से उसके सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.06.18 को कीमतन क्रय किया था तथा प्रार्थी संख्या 2 ने प्रतिपक्षी संख्या 9 से उसके सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.15 को कीमतन क्रय किया था, तभी से प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि से प्रतिपक्षीगण 1 हरकू देवी व प्रतिपक्षी संख्या 9 का कोई लेना–देना नही है, प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 6 प्रार्थीगण की खरीद शुदा खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग में मजामहत करने पर आमादा थे, प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि से प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 6 को कोई संबंध नहीं है इसलिए उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस आशय का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में दिनांक 20.02.19 को माननीय न्यायालय में मय दस्तावेजात पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.02.2019 को प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 2136 रकबा 0.32 है0 किस्म चाही व ख0नं0 2141 रकबा 0.31 है0 किस्म चाही प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 है0 में से 33/160 हिस्सा है तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी 2141 रकबा 0.31 है किस्म चाही प्रथम व ख0नं0 2147 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 में से 121/960 हिस्से की भूमि वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली में किसी प्रकार की बाधा व मजामहत न तो स्वयं करें ओर न ही अन्य किसी प्रकार से

किसी मायम से करावें, अग्रिम आदेश तक पाबंद रहे। प्रतिपक्षीगण ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2019 की दिनांक 17.06.2019 को खुल्लेआम अवहेलना की है जबकि प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 6 को स्थगन आदेश की भली–भली भांति जानकारी होने पर उन्होने वकील नियुक्त कर यू0टी0 दिलाई गयी थी जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रतिपक्षीगण को थी, उसके पश्चात् भी प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 6 ने मिलकर प्रार्थीगण की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में ट्रेक्टर से हकाई करा रहे थे तो ट्रेक्टर के आगे आकर बाधा–मजामहत उत्पन्न कर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2019 की खुल्लेआम अवहेलना की है जिन्हें पुलिस थाना देवली 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन उसके पश्चात् प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को गाली–गलौच कर जान से मारने व अघटित घटना का झूठा मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे है। न्यायालय आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में प्रतिपक्षीगण को 3 माह की सजा से दण्डित किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 22.02.2019 की खुल्लेआम अवहेलना करने के कारण 3 माह के कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई ।

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 व 2 पेश किये जो इस प्रकार हैः–

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1ः– मैं राजेन्द्र पुत्र भंवलाल जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान का सशपथ बयान करता हूँ कि :– शपथ पत्र साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 पेश किया चरण नं0 1 ता 5 मेरे स्वयं के ज्ञान से लिखवाये है जो सही एवं सत्य है। मैने प्रार्थना पत्र अवहेलना के साथ प्रार्थना पत्र एसएचओ देवली प्रदर्श 1, टीआई आदेश प्रदर्श 2, 151 सीआरपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि मुचलका प्रदर्श 4, इस्तागासा प्रमाणित प्रतिलिपि एसएचओ देवली प्रदर्श 5, प्रमाणित

प्रतिलिपि रोजनामचा प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि गिरफ्तारी खानाराम प्रदर्श 7, मुझ प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 सीपीसी बाबत् अवहेलना प्रदर्श 8, मय शपथ पत्र जिस पर मेरे ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा सी से डी मेरी पत्नी इन्द्रा के हस्ताक्षर है। पी. डब्ल्यू–1 ने अपने शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही वर्णित किया है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2:– मैं इन्द्रा पत्नी राजेन्द्र जाति माली आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान का सशपथ बयान करता हूँ कि :– शपथ पत्र साक्ष्य पीडब्ल्यू– 2 पेश किया। चरण नं0 1 ता 5 मेरे स्वयं के ज्ञान से लिखवाये है जो सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी मय शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया है जो प्रदर्श 8 है। जिस पर सी से डी तक मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा पुलिस थाना देवली में प्रार्थना पत्र पेश किया है वह प्रदर्श 1 है, टी0आई0 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2 है, मैनें पुलिस थाना देवली में खानाराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने पर एसएचओ देवली द्वारा न्यायालय में इस्तागासा पेश किया था जो प्रदर्श 5 है, खानाराम को न्यायालय द्वारा पाबंद प्रदर्श 3 है, नेकचलनी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 है, रोजनामचा प्रदर्श 6 है। गिरफ्तारी खानाराम प्रदर्श 7 है। पी. डब्ल्यू–2 ने अपने शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही वर्णित किया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को मुख्यतया दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी हुई है। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी कोर्ट के आदेश की अवमानना की ही। इस सम्बन्ध में गैर सायल को 151 सीपीसी के तहत पाबन्द भी किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को नियमानुसार 3 माह के कारावास से दण्डित किया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस मिमो पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए

अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बावजूद बाधा व मजामहत उत्पन्न की है जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को विरूद्ध पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रार्थीगण ने पुलिस थाना देवली में खानाराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने पर एसएचओ देवली द्वारा न्यायालय में इस्तागासा पेश किया था, खानाराम को न्यायालय द्वारा पाबंद, नेकचलनी प्रमाणित प्रतिलिपि, रोजनामचा , गिरफ्तारी खानाराम सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये है जो केवल खानाराम के विरूद्ध सबूत के तौर पर पेश किये है जबकि प्रार्थीगण ने विरूद्ध पक्षकार खानाराम के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 6 को भी बनाया है जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण ने किसी भी तरह का साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 6 को बिना किसी उज्र के ही पक्षकार बना दिया गया है, जो न्यायिक हितो के विपरीत है। खानाराम के विरूद्ध पेश उक्त साक्ष्य/सबूतो प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 151 सीआरपीसी व रोजनामचा का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि पुलिस द्वारा कानाराम को थाने में लाने पर कानाराम ने जो भी कठोर/आवेशित शब्द बोले जो इस प्रकार हैः–इन्द्रा देवी ने मेंरे खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दे कर अच्छा काम नहीं किया है और उसकी जमीन पर तो मे कब्जा करे रहूगा और थाने से वापस जाते ही इन्द्रा को तो में देख लूंगा, उसको तो मजा चखाकर ही रहूंगा। इन विरूद्ध कठोर/आवेशित शब्द/गलत वाक्यो का प्रयोग किया है वो थाने में ही किया है न कि विवादित आराजी पर किया है और इससे यह प्रतीत होता है कि उसने अभी इन्द्रा की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, केवल धमकी दी है। प्रार्थी ने इस भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा रहा हो और उसके बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जेकाश्त में मजामहत की हो के सम्बन्ध में कोई राजस्व रिकॉर्ड अथवा रिपोर्ट व साक्ष्य पेश नहीं किये है। पुलिस रिपोर्ट अन्वेषण में भी यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा बाधा व मजामहत करने के सम्बन्ध में विवाद होकर विवादित आराजी पर पुलिस ने दस्तयाब किया हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 की परिधि में नहीं होने स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र कब्जेकाश्त के सबूत व साक्ष्यों के

अभाव के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली